झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | **त्रयोदश(मॉनसून)सत्र**

संख्या-06 | **शनिवार, दिनांक-21 जुलाई, 2018 ई०।**

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 06.05 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

I- माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों ने राज्य में मर्जर किये जा रहे विद्यालयों के कारण होनेवाली विभिन्न कठिनाईयों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु आग्रह किया जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य विपक्ष के माननीय सदस्यों ने किया। इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार एवं श्री राम कुमार पाहन ने भी वस्तुस्थिति स्पष्ट की,

ii- माननीय सदस्य, श्री राधाकृष्ण किशोर ने विद्यालयों के मर्जर किये जाने सम्बन्धी तकनीकी त्रुटियों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया,

iii- माननीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि सदन में कोई भी चर्चा नियमावली के तहत ही होनी चाहिए (शोरगुल),

iv-आसन द्वारा सदन में लगातार हो रहे गतिरोध, नोंकझोंक तथा आरोप-प्रत्यारोप से व्यथित होकर अपनी भावना सदन में प्रकट करते हुए उक्त स्थितियों पर गहरी नाराजगी अभिव्यक्त की गयी।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव एवं अन्य द्वारा राज्य में मर्ज किये जा रहे विद्यालयों के कारण उत्पन्न समस्याओं पर तथा डॉ० इरफान अंसारी एवं अन्य द्वारा जामताड़ा जिले में बिजली की कमी के कारण ब्लैक आउट पर चर्चा हेतु दिये गये कार्यस्थगन प्रस्तावों के नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किया गया तथा विषयों की महत्ता को देखते हुए सम्बन्धित विभागीय मंत्रियों को संज्ञान में लिये जाने हेतु निदेश दिया गया जिसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा संज्ञान में लिया गया,

क्र०पृ०उ०-

Scanned by CamScanner

इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी जिसके कारण भारी शोरगुल होने लगा तत्पश्चात् झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के माननीय सदस्य स्लोगनयुक्त पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए सदन की वेल में आ गये अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.49 बजे पूर्वा० से लेकर 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3. प्रतिवेदनों का सभा मेज पर रखा जाना:-

i- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत माननीय सभापति, श्री आलमगीर आलम द्वारा सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति का 35वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया,

ii- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-216(1) के तहत माननीय सभापति (लोक लेखा समिति), श्री स्टीफेन मराण्डी द्वारा टाटा लीज सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी,

iii- माननीया सभापति, डॉ० नीरा यादव द्वारा ''झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017'' पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

इस क्रम में माननीय सदस्य, सर्वश्री शिवशंकर उरांव, राम कुमार पाहन, राधाकृष्ण किशोर एवं श्री लक्ष्मण टुडू ने धर्मातरण करनेवाले व्यक्तियों को आरक्षण के लाभ से वंचित किये जाने हेतु आसन से आग्रह किया जिसपर माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने आपत्ति दर्ज की। माननीय सदस्य, श्री नारायण दास ने देवघर की एक दलित बेटी द्वारा मिस इंडिया का खिताब जीतने पर उसे सम्मानित करने हेतु आसन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जिसके आलोक में अपने समापन भाषण में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उस बच्ची को एक लाख रुपये पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गयी। माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा द्वारा धनबाद में माडा कर्मियों को चालीस माह से वेतन बन्द रहने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसपर विभागीय प्रभारी मंत्री ने संज्ञान में लिया। माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो ने अपने विधान सभा क्षेत्र डुमरी के नावाडीह मध्य विद्यालय में थाना संचालित होने से छात्र-छात्राओं का अध्ययन-अध्यापन कार्य बाधित रहने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

4. विधायी कार्य:-

(क) झारखण्ड वित्त विधेयक, 2018

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के धारा-02 एवं 03, अनुसूची सहित खण्ड-क एवं धारा-05 से 07 तक खण्ड-ख, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

क्र०पृ०उ०—

Scanned by CamScanner

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड वित्त विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर झारखण्ड मुक्ति मोर्चा द्वारा सदन का परित्याग किया गया।)

(ख) नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीया प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ।

(इस अवसर पर झारखण्ड विकास मोर्चा के माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा सदन का परित्याग किया गया।)

(ग) रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीया प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण उनका संशोधन प्रस्ताव अमान्य किया गया।

(घ) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीया प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **राधा गोविन्द विश्वविद्यालय विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण उनका संशोधन प्रस्ताव अमान्य किया गया।

(च) झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

क्र० पृ०उ० -

Scanned by CamScanner

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीया प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड राय विश्वविद्यालय विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण उनका संशोधन प्रस्ताव अमान्य किया गया।

(इस अवसर पर आसन के निदेशोपरांत सभा के बाहर अनशन पर बैठे माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता को ससम्मान माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा एवं माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत द्वारा सदन में लाया गया तत्पश्चात् श्री मेहता ने अपने द्वारा किये गये अनशन के कारणों को आसन के निदेश से सदन में रखा। माननीय सदस्य को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाद में जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया गया।)

(छ) राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (आर०के०डी०एफ०) विश्वविद्यालय विधेयक, 2018

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 से 46, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (आर०के०डी०एफ०) विश्वविद्यालय विधेयक, 2018** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण उनका संशोधन प्रस्ताव अमान्य किया गया।

(ज) झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017

उक्त विधेयक पर पूर्व में प्रस्ताव स्वीकृत होने के कारण आसन द्वारा खण्डश: विचार के क्रम में प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक के खण्ड- 02 से 06, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने तदुपरांत माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ० नीरा यादव ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2017** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इस अवसर पर माननीय सदस्य, सर्वश्री जानकी प्रसाद यादव ने अपने बरकट्ठा विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने तथा विद्यालयों के समायोजन से उत्पन्न कठिनाईयों की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने गढ़वा-पलामू जिलों के संदर्भ में सुखाड़ पर सदन में चर्चा कराये जाने की माँग की, माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार ने अपने क्षेत्र में सेलेबल तथा नन सेलेबल जमीन का मामला उठाया, माननीय सदस्य, श्री राज कुमार यादव ने विधायक मद से जी.एस.टी. एवं कमीशन काटे जाने तथा बगोदर के छ: मजदूरों का अफगानिस्तान में हुए अपहरण की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

(इस अवसर पर कार्यसूची में अंकित एजेंडों के निष्पादन पर्यन्त समय का विस्तारण सभा की सहमति से आसन द्वारा किया गया।)

(शोरगुल)

क्र०पृ०उ०-

Scanned by CamScanner

5.गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (मॉनसून) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी एवं सरकारी उत्तर के पश्चात् इन्हें वापस लिया गया:-

क्रम संख्या	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन	चेकडैम का निर्माण करना	वापस
02	प्रो० जय प्रकाश वर्मा	ग्रामीण पथ को पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा मरम्मति कराना	वापस
03	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	पेयजल की आपूर्त्ति करना	वापस
04	श्री अशोक कुमार	महगामा में टाउन हॉल का निर्माण कराना	वापस
05	श्री नारायण दास	देवघर के दिघरिया पर्वत का सौन्दर्यीकरण कराना	वापस
06	श्री राज कुमार यादव	धनवार को जिला बनाना	वापस
07	श्री राम कुमार पाहन	सी.एन.टी. एक्ट, 1908 का पालन कराना	वापस
08	श्री हरिकृष्ण सिंह	लातेहार के छिपादोहर को प्रखण्ड बनाना	वापस
09	श्री अमित कुमार मण्डल	गेरूआ नदी पर अतर्राज्यीय पुल का निर्माण कराना	वापस
10	श्रीमती बिमला प्रधान	बागडेगा पंचायत को विभक्त करना	वापस
11	श्री अनन्त कुमार ओझा	साहेबगंज में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना	वापस
12	श्री बिरंची नारायण	मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारम्भ कराना	वापस
13	श्री राधाकृष्ण किशोर	छतरपुर को जिला बनाना	वापस
14	श्री प्रकाश राम	चंदवा-टोरी रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाना	वापस
15	श्री नागेन्द्र महतो	पूछा गया विषय नियमावली के विरूद्ध	आसन द्वारा अमान्य
16	श्री सुखदेव भगत	जर्जर सड़क का निर्माण कराना	वापस
17	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	सड़क का निर्माण कराना	वापस

आहूत सत्र में कुल चौबीस गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें कुल 17 सूचनायें पढ़ी गई और विपक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री जगरनाथ महतो, दशरथ गागराई, स्टीफेन मराण्डी, प्रदीप यादव, रबीन्द्रनाथ महतो, कुणाल षड़ंगी, अरूप चटर्जी के सदन में अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें नहीं पढ़ी गई।

5. समापन भाषण:-

इसके उपरांत माननीय सदन नेता द्वारा सरकारी उत्तर के क्रम में वर्त्तमान सरकार की उपलब्धियों को सदन के समक्ष रखा गया और अंत में आसन द्वारा वर्त्तमान सत्र के दौरान विभिन्न कारणों से सदन

क्र० प्र०2-

Scanned by CamScanner

बाधित रहा जिसे आसन ने दुःखद बताया। पूरे सत्र के दौरान प्राप्त प्रश्नों, ध्यानाकर्षणों, शून्यकाल आदि का निष्पादन नहीं होना सदन की सामूहिक पीड़ा बताते हुए आनेवाले सत्रों के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद आसन द्वारा जतायी गयी। अंततः आहूत सत्र के दरम्यान विभागीय अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, मीडियाकर्मियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गयी।

राँची,
दिनांक- 21 जुलाई, 2018 ई०।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

Scanned by CamScanner